

एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना

[ नियम 6 का उप-नियम (1) ]

(a)	अधियाची विभाग	:	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, हिलसा।
	परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और SIA द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र।	:	बड़ीमठ (परबलपुर) से देवरिया भाया मुरगाँवा-रामगंज-मैजरा पथ के कि०मी० 3 (चैनेज 2+331) में जलवार पैमार नही पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल (3X18.00m) के पहुँच पथ निर्माण। मौजा-सोनचरी थाना नं०-60 रकवा 0.5150 एकड़ परियोजना की लम्बाई :- 3X18.00m परियोजना का क्षेत्रफल 0.5150 एकड़ एस0आई0ए0 हेतु प्रभावित क्षेत्रफल 0.5150 एकड़
(b)	SIA के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत है (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण सर्वे (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ	:	बड़ीमठ (परबलपुर) से देवरिया भाया मुरगाँवा-रामगंज-मैजरा पथ के कि०मी० 3 (चैनेज 2+331) में जलवार पैमार नही पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल (3X18.00m) के पहुँच पथ निर्माण परियोजना के कारण प्रभावित परिवारों के सामाजिक प्रभाव का आकलन। प्रभावित परिवारों से बातचीत/मिलकर प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण और आम जनता के साथ सुनवाई कर इसे किया जाना है। (उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बंदोवस्ती पारदर्शिता अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनी नियामावली के प्रावधानों के अनुरूप)
(c)	यदि ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हो तो अधिसूचना में यह उल्लिखित होनी चाहिए।	:	हाँ
(d)	SIA के लिए टाईमलाईन और अंतिम परिदेय (SIA प्रतिवेदन और SIMP) साथ ही उसके प्रकटीकरण की रीति की विनिर्दिष्ट किया जायेगा।	:	(i) प्रथम अग्रिम भुगतान के 30 दिनों के अन्दर। (ii) एस0आई0ए0 प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना विचारणीय विषय हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में। (iii) पंचायत/नगर पंचायत, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, समाहर्ता एवं समुचित सरकार के वेवसाईट के माध्यम से प्रकाशन।
(e)	यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा।	:	लागू नहीं।
(f)	राज्य SIA इकाई की सम्पर्क सूचना।	:	इस परियोजना के लिए :- अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना। मोबाईल नं०-8986240962

ह०/-

समाहर्ता,

नालन्दा।

ज्ञापांक.....954/भू0अ0, दिनांक.....13/06/2020

प्रतिलिपि :- पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, सोनचरी को सूचनार्थ एवं सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परबलपुर को सूचनार्थ एवं ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से तामिला, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, ए०एन० सिन्हा, समाज अध्ययन संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा एवं अंचल अधिकारी, परबलपुर को सूचनार्थ एवं सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी०, प्रबंधक, नालन्दा को नालन्दा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नजारेत उप समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं समाहर्ता, नालन्दा के सूचनापट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

समाहर्ता,  
नालन्दा।